सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक – 10. 11.2011 एवं ज्ञापांक /2905 दिनांक 11.07.14 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय स0वि0स0 श्री मुनेश्वर चौधरी (गरखा वि0स0) द्वारा सदर प्रखंड, छपरा एवं गरखा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुमोदित योजना का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल – 01, छपरा के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है तथा पत्रांक 400 दिनांक 07.02.2020, पत्रांक 128 दिनांक 10.01.2020, पत्रांक 03 दिनांक 01.01.2020 एवं पत्रांक 270 दिनांक 28.01.2020 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन, कार्यप्रमंडल – 01, छपरा के द्वारा प्रदत तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं अंचलाधिकारी, गरखा के पत्रांक 92 दिनांक 10.02.2020 एवं सदर के पत्रांक 197 दिनांक 06.12.2020 के द्वारा भूमि उपलब्धता संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0	प्रखण्ड	स्वीकृत योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	माननीय विधायक का नाम
1	सदर	कोटवा पट्टी रामपुर पंचायत के ग्राम सबलपुर बिन्द टोली में सामुदायिक भवन का निर्माण।	806400.00	806400.00	श्री मुनेश्वर चौधरी
2	"	कोटवा पट्टी रामपुर पंचायत के ग्राम दयालचक बिन्द टोली में सामुदायिक भवन का निर्माण।	806400.00	806400.00	"
3	"	कोटवा पट्टी रामपुर पंचायत के ग्राम कुतुबपुर बिन्द टोली में सामुदायिक भवन का निर्माण।	806400.00	806400.00	"
4	गरखा	गरखा प्रखण्ड के पंचायत मिठेपुर के ग्राम मिठेपुर के बीन टोली के पास नदी पर घाट का निर्माण।	838000.00	838000.00	"
5	"	गरखा प्रखण्ड के ग्राम मुड़ा में मही नदी के समीप घाट का निर्माण।	665000.00	665000.00	"
6	"	गरखा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत मिठेपुर के ग्राम बीबीपुर में नदी के पास घाट का निर्माण।	689000.00	689000.00	"
7	"	गरखा प्रखण्ड के पंचायत मिठेपुर के ग्राम मिठेपुर में परमेश्वर मॉझी के घर के पास चबुतरा का निर्माण।	374000.00	374000.00	"
8	"	गरखा प्रखण्ड के फेरूसा पंचायत के ग्राम वेलवनिया में घाट का निर्माण।	695000.00	695000.00	"
9	"	गरखा प्रखण्ड के महमदा पंचायत के ग्राम लाढ़पुर में पोखरा के पास घाट का निर्माण।	695000.00	695000.00	"
10	"	गरखा प्रखण्ड के मिर्जापुर पंचायत के ब्रहमस्थान टोला पूर्वी छोड़ में पुल के पास चबुतरा का निर्माण।	321000.00	321000.00	"
		कुल योग :–	6696200.00	6696200.00	

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :– (छियासठ लाख छयानवे हजार दो सौ रुपये मात्र।)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :– इन स्वीकृत योजनाओं का कार्य कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल– 01, छपरा द्वारा योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 5255 दिनांक 23.06.14 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार के द्वारा विभागीय/ निविदा आमंत्रित कर योजना का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

कार्यन्वयन की शर्ते

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगे कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है।
2. सरकार के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5225 दिनांक – 23.09.14 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत योजना के लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओ के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना–कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक हैं।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजना का भविष्य में रख रखाव हेतु संबधित प्रशासी विभाग को स्थानातरिंत किया जा सके।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
11. अंचलधिकारी, सदर/गरखा से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न) अंचलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि पर ही योजना का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें।
12. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

सहायक योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 183/यो0 दिनांक 12.02.20

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल –01, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेगे।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0 सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण प्रमण्डल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय स0वि0स0 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

12-2-2020

सहायक योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।